भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं॰ 1468
दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

शौचालय की सुविधा की अनुपलब्धता वाले घर

1468. श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमारः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने अब तक शौचालय की सुविधा की अनुपलब्धता वाले ग्रामीण घरों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने केरल सहित देश के सभी ग्रामीण घरों में शौचालय निर्मित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उपर्युक्त प्रयोजनार्थ चिह्नित और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की स्थिति के आकलन के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से वर्ष 2012-13 में आधारभूत सर्वेक्षण करवाया था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सर्वे पर आधारित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित अध्यतन डाटा के अनुसार, 9,80,16,086 ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय उपलब्ध नहीं है।
(ख) और (ग) सरकार ने केरल सहित देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराकर दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 तक समग्र स्वच्छता कवरेज की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को (एसबीएम (जी) की शुरूआत की थी। एसबीएम (जी) के अंतर्गत, शौचालयों के निर्माण और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) की कुछ चिह्नित श्रेणी के परिवारों को 12,000 रु. (केंद्र तथा राज्य के बीच 60 :40 के अनुपात में (पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 90:10 के अनुपात में) का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। शौचालयों का

निर्माण और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम स्वच्छता हेतु सामुदायिक दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन पर बल देता है। कार्यक्रम में सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आईईसी), अंतर्वैयक्तिक संवाद (आईपीसी) और क्षमता संवर्धन गतिविधियों पर भी बल दिया जाता है।

(घ) कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित तथा व्यय की गई केंद्रीय निधियों का विवरण निम्नलिखित है:-

वित्तीय वर्ष	**आबंटित निधियां (करोड़ रुपए में)**	**व्यय की गईं निधियां (करोड़ रुपए में)**
2014-15	2,850.00	2,849.95
2015-16	6,525.00	6,524.52
2016-17	10,513.94	10,509.03
2017-18	16,950.43	16,941.96
2018-19	15,343.10*	15,281.97
कुल	**52,182.47**	**52,107.43**

*इसके अलावा, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए तक की राशि बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है। अब तक, 3634.30 करोड़ रुपए बढ़ाए और जारी किए गए हैं।